न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–कैलाश चन्द मीना, आई.ए.एस.

विभागीय अपील संख्या 12/2021

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री प्रशान्त नोगिया पूर्व पटवारी हेमावास, तह0 पाली, हाल–पटवारी सरेचा, तहसील लूणी जोधपुर		उप जिला कलेक्टर पाली

अपील अन्तर्गत नियम, 23 राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 विरूद्ध आदेश उप जिला कलेक्टर पाली कमांकः विजां/सी.सी.ए. 17/राजस्व/2020/110 दिनांक 11.02.2020 द्वारा प्रार्थी की दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्डादेश पारित करने बाबत।

निर्णय

दिनांक 17.04.2023

यह अपील श्री प्रशान्त नोगिया, पूर्व पटवारी हेमावास, तहसील पाली, हाल–पटवारी सरेचा, तहसील लूणी जिला जोधपुर ने उप जिला कलेक्टर पाली के आदेश कमांकः विजां/सी.सी.ए. 17/राजस्व/2020/110 दिनांक 11.02.2020 के विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के तहत प्रस्तुत की गई है।

प्रस्तुत अपील प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अपीलाण्ट पटवारी हेमावास (पाली) के पद पर कार्यरत्त रहते हुए दिनांक 11.06.2019 की पटवार बैठक में उप जिला कलेक्टर पाली द्वारा DILRMP नक्शा की शीटों में बकाया समस्त तरमीमें पूर्ण कर तहसील कार्यालय में जमा करवाने हेतु निर्देशित किया गया था। परंतु बार–बार तहसीलदार पाली के पत्राचारों एवं राज्य सरकार द्वारा DILRMP एक सौ दिवस में कार्य पूर्ण करने की तिथि देने के पश्चात भी 357 में से 255 तरमीम कार्य किया गया तथा 102 तरमीम शेष रखी गई। इसके लिए जारी कारण बताओ नोटिस का नियत अवधि में कोई जवाब प्रस्तुत नही कर उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने से अपीलांट के विरूद्ध सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत जांच कार्यवाही सम्पन्न कर, अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.02.2020 के द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित होना मानते हुए उसकी दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

उप जिला कलेक्टर पाली के द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत अनुशासनिक जांच कार्यवाही संस्थित कर ज्ञापन कमांकः विजां/सी.सी.ए. 17/राजस्व/19/1073 दिनांक 21.10.2019 के द्वारा आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र जारी किया गया। आरोपित आरोपों का विवरण निम्नानुसार है :–

आरोप संख्या 1–

आप श्री प्रशांत नोगिया पूर्व पटवारी हेमावास, हाल पटवारी पादरला, तहसील पाली के पद पर कार्यरत्त रहते हुए दिनांक 11.06.2019 की पटवार बैठक में अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें DILRMP नक्शा की शीटों में बकाया समस्त तरमीमें पूर्ण कर तहसील कार्यालय में जमा करवाने हेतु निर्देशित किया गया था, परंतु आपको बार–बार तहसीलदार पाली के द्वारा पत्राचारों, बैठकों में DILRMP नक्शा शीटे में तरमीम पूर्ण जमा कराने हेतु लिखा गया, लेकिन आपने कोई ध्यान नही दिया।

राज्य सरकार द्वारा DILRMP एक सौ दिवस में कार्य पूर्ण करने की तिथि देने के पश्चात भी आपने 357 में से 255 तरमीम कार्य किया तथा 102 तरमीम शेष रखी गई। जिसके संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा आपको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसमें 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करना था, लेकिन आपने कारण बताओ नोटिस का नियत अवधि में प्रतिउत्तर प्रस्तुत नही किया। अतः आपने उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की है, अतः आप दोषी हो।

अपीलाण्ट द्वारा उक्त उल्लेखित ज्ञापन व आरोप पत्र का प्रत्युत्तर प्रस्तुत नही करने तथा उसे व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिये गये अवसर दिनांक 23.12.2019 को उपस्थित नही होने के उपरांत उप जिला कलेक्टर पाली द्वारा प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.02.2020 पारित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष उक्त अपील प्रस्तुत की गई। अपील के साथ प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु मियाद अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे न्यायहित में स्वीकार कर प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

दौरान सुनवाई अपीलाण्ट ने अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि श्रीमान जिला कलेक्टर (भू.अ.) पाली के आदेश कमांक 156 दिनांक 23.11.2017 के द्वारा अपीलांट को 2 वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में पटवारी के पद पर नियुक्ति दी गई थी। पटवार प्रशिक्षण के प चात जिला कलेक्टर पाली के आदेश दिनांक 27.8.2018 के द्वारा अपीलांट का पटवार मण्डल हेमावास, तहसील पाली में पदस्थापन किया गया था। तत्पश्चात संभागीय आयुक्त महोदय के आदेश कमांक 1880 दिनांक 30.09.2019 द्वारा

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

अपीलांट का स्वैच्छिक अन्तर्जिला स्थानांतरण जिला पाली से जोधपुर किया गया। अपनी कार्यमुक्ति को लेकर उसके द्वारा राज0 सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर में अपील संख्या 575/2019 दायर की गई, जिसमें पारित निर्णय दिनांक 16.10.2019 द्वारा अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को आलोच्य आदेश दिनांक 30.09.2019 की पालना में स्थानांतरित स्थान के लिए अविलम्ब कार्यमुक्त करने तथा कार्यग्रहण कराने के आदेश दिये गये। इससे व्यथित होकर उप जिला कलेक्टर पाली द्वारा महज 4 दिन बाद दिनांक 21.10.2019 को अपीलांट के विरूद्ध सीसीए नियम 17 के तहत ज्ञापन प्रसारित कर दिये गये। इस बीच उप जिला कलेक्टर पाली के आदेश दिनांक 26.09.2019 द्वारा अपीलांट का स्थानांतरण पटवार मण्डल हेमावास से प0मं0 पादरला किया गया था। दिनांक 31.10.2019 को तहसीलदार (भू.अ.) पाली के आदेश द्वारा अपीलांट को बाद दोपहर स्थानांतरित जिले में कार्यग्रहण हेतु कार्यमुक्त किया गया।

उप जिला कलेक्टर पाली द्वारा अपीलांट के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक जांच कार्यवाही में आरोपित आरोप के अनुसार उसके द्वारा पटवार मंडल हेमावास में पटवारी के पद पर कार्यरत रहते दिनांक 11.06.2019 की पटवार बैठक में DILRMP नक्शा की सीटों में समस्त तरमीमें पूर्ण कर तहसील कार्यालय में जमा करवाने के निर्देश दिये गये थे। राज्य सरकार द्वारा DILRMP एक सौ दिवस में कार्य पूर्ण करने की तिथि देने के पश्चात भी उसने 357 में से 255 तरमीम कार्य किया तथा 102 तरमीम शेष रखी गई। उक्त तरमीमें उसके द्वारा दिनांक 1.8.18 को प.मं. हेमावास के कार्यभार में मिली थी, जो पूर्व वर्षो की बकाया थी। अपीलांट नव–नियुक्त कार्मिक था, उसे पटवार पद के कार्य को समझने में समय लगना स्वाभाविक था, फिर भी वह शेष रही 102 तरमीम कार्य पूर्ण करने में प्रयासरत्त था। इसके लिए उसे जारी कारण बताओ नोटिस का नियत समय में जवाब प्रस्तुत नही करने से अपीलांट को जारी ज्ञापन/आरोप पत्र में ही दोषी ठहरा दिया गया, जो कि पूर्वाग्रह से ग्रसित कार्यवाही है।

अपीलांट को जारी ज्ञापन उसे दिनांक 23.10.2019 को तामिल हुआ। ज्ञापन के पद सं0 1 में वर्णित है कि जिन अभिकथनों के आधार पर ज्ञापन/आरोप पत्र तैयार किया गया, वे संलग्न है, जबकि जिन दस्तावेजों के आधार पर ज्ञापन/आरोप पत्र जारी किया गया, उनकी प्रति न तो ज्ञापन के संलग्न थी और ना ही अपीलांट के आवेदन दिनांक 4.11.19 के क्रम मे उसे उपलब्ध करवायी गई। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा अनुशासनिक जांच कार्यवाही में प्रत्युत्तर दिया जाना संभव नही हो सका। अपीलांट द्वारा वांछित सूचना के क्रम में उप जिला कलेक्टर पाली के पत्र क्रमांक 1186 दिनांक 21.11.19 में यह सूचित किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दु सं0 1 व 4 की सूचना स्वयं प्रार्थी (अपीलांट) के पास उपलब्ध है तथा बिन्दु सं0 2

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

व 3 से संबंधित सूचना कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) पाली से संबंधित है। अतः प्रार्थी स्वयं कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) पाली से आवश्यक सूचना एवं प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त करना सुनिश्चित करे। जबकि अपीलांट दिनांक 31.10.19 को स्थानांतरित स्थान पर कार्यमुक्त हो जाने से उसके पास बिन्दु सं0 1 व 4 की सूचना उपलब्ध नही थी तथा बिन्दु सं0 2 व 3 से संबंधित सूचना उसे उपलब्ध नही करवायी गई। प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उप जिला कलेक्टर पाली द्वारा जारी नोटिस कमांक 1326 दिनांक 18.12.2019 भी अपीलांट को तामिल नही हुआ और न ही उसके के विरूद्ध विचाराधीन कार्यवाही की प्रगति की जानकारी उसे समय–समय पर हुई। तत्पश्चात उप जिला कलेक्टर पाली द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.02.2020 पारित कर दिया गया। इस प्रकार अपीलांट को अपना पक्ष रखने का अवसर नही दिया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमा कर, अपीलांट को दोष मुक्त करने व रोकी गई वेतन वृद्धियां दिलाने का आग्रह किया गया।

प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय पैराकार के रूप में नायब तहसीलदार पाली उपस्थित हुए, उनके द्वारा अवगत कराया कि श्रीमान जिला कलेक्टर पाली के आदेशानुसार तहसीलदार पाली अतिकमण हटाने संबंधी मामले में व्यस्त है। न्यायालय हाजा में विचाराधीन एक अन्य विभागीय अपील संख्या 15/2022 में उन्हें विभागीय पैराकार नियुक्त किया हुआ है, इन दोनों विभागीय अपीलों में सुनवाई हेतु दिनांक 5.4.23 नियत है। अतः हस्तगत प्रकरण संख्या 12/2021 में राज्य पक्ष की ओर से पैरवी करने की अनुमति प्रदान करने का मौखिक आग्रह करने पर उन्हें मौखिक अनुमत्त किया गया। विभागीय पैरोकार द्वारा अपनी बहस में उप जिला कलेक्टर पाली द्वारा प्रेषित टिप्पणी में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए, अपीलाधीन आदेश कमांक 110 दिनांक 11.02.2020 को विधि अनुकूल होना बताते हुए उक्त अपील खारिज फरमाने का आग्रह किया गया।

हमने उक्त अपील प्रकरण में उप जिला कलेक्टर पाली के पत्रांकः अपील/2021/877 दिनांक 20.07.2021 द्वारा प्रेषित टिप्पणी व उसके संलग्न मूल पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे प्रकट है कि :–

1. उपखण्ड अधिकारी पाली द्वारा अपीलांट के विरूद्ध उक्त अनुशासनिक कार्यवाही बहैसियत उप जिला कलेक्टर पाली के की गई है, जो विधि अनुकूल है।
2. सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 21.10.19 को जारी अपीलाधीन ज्ञापन एवं आरोप/आरोप विवरण पत्र आरोपित कार्मिक से दिनांक 23.10.19 को तामिलशुदा–प्रति अधीनस्थ कार्यालय

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

की पत्रावली में उपलब्ध है, जबकि अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.02.2020 को तकरीबन पौने चार माह बाद पारित कर, अपीलार्थी को पृष्ठांकित किया गया है।

3. अपीलांट का यह कथन कि उक्त कार्यवाही उसके अन्तर्जिला स्थानांतरण दिनांक 30.09.2019 एवं मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 16.10.2019 से व्यथित होकर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर की गई है, जबकि अधीनस्थ कार्यालय की पत्रावली में उपलब्ध उपखण्ड अधिकारी पाली द्वारा अपीलांट को जारी कारण बताओ नोटिस क्रमांकः 689 दिनांक 30.07.19 को जारी किया गया है, जो स्थानांतरण आदेश से 2 माह पूर्व में जारी हुआ है। इससे साबित है कि उक्त कार्यवाही पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर नही की गई है, बल्कि राजकार्य में प्रगति लाने के उद्धेश्य से की गई है। कारण बताओ नोटिस में स्पष्टतः उल्लेखित है कि "राज्य सरकार द्वारा DILRMP को राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना में सम्मिलित किया गया है। तरमीम संबंधी प्रगति का मुख्य सचिव महोदय, प्रमुख शासन सचिव महोदय एवं अन्य उच्चाधिकारियों द्वारा नियमित रूप से अवलोकन किया जा रहा है। जिसमें यह पाया गया कि राजस्थान में तहसील पाली की तरमीम की प्रगति अत्यंत पिछड़े स्तर पर है, जिसे उच्चाधिकारियों ने गंभीरता से लिया है। इस बाबत पूर्व में अधो–हस्ताक्षरकर्ता (SDO) एवं तहसीलदार पाली द्वारा कई बार आपको प्रगति बढाने बाबत निर्देशित किया गया था, जिसे आप द्वारा गंभीरता से नही लिया गया। आपने जनवरी से 357 तरमीमों में से मात्र 255 तरमीम की है तथा 102 शेष है। इससे यह प्रतीत होता है आप द्वारा राज्य सरकार की कार्ययोजना को पूर्ण करने एवं उच्च अधिकारियों के आदेशों की पालना करने में कोई रूचि नही है तथा यह राजकार्य के प्रति आपकी उदासीनता को दिखाता है। अतः आप 15 दिवस में स्पष्टीकरण देवे कि क्यों नही आपके विरूद्ध राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।" उक्त कारण बताओ नोटिस अपीलांट को दिनांक 01.08.19 को तामिलशुदा प्रति अधीनस्थ कार्यालय की पत्रावली में सलंग्न है। इस क्रम में आरोपी द्वारा दिनांक 26.08.19 को प्रस्तुत जबाव स्वीकारोक्त है व इससे यह भी स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा नियत समय 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत नही किया गया।

4. अपीलांट का यह कथन कि वांछित दस्तावेजों के अभाव में उसके द्वारा ज्ञापित आरोप का जवाब प्रस्तुत किया जाना संभव नही हुआ। इस संदर्भ में उसके द्वारा मार्फत तहसीलदार (भू.अ.) जोधपुर प्रेषित बिन्दुवार वांछित सूचनाओं के क्रम में उप जिला कलेक्टर पाली के पत्रांकः 1186 दिनांक 21.11.19 से यथा सूचित कर दिया गया था। इसके उपरांत उप जिला कलेक्टर पाली द्वारा विभागीय जांच में प्रत्युत्तर प्रेषित करने हेतु अपीलांट को जारी

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

स्मरण पत्र कमांक 1202 दिनांक 28.11.19 के कम में अपीलांट द्वारा मार्फत तहसीलदार लूणी पुनः वांछित दस्तावेज की नकल दिलाने की मांग की गई। तत्पश्चात उप जिला कलेक्टर पाली द्वारा आरोपित कार्मिक की व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी नोटिस कमांक 1326 दिनांक 18.12.19 मार्फत तहसीलदार लूणी (जोधपुर) जरिये ईमेल प्रेषित किया गया। इससे साबित है कि अपीलांट द्वारा अनुशासनिक जांच कार्यवाही को गंभीरता से नही लिया गया और न ही जवाब प्रस्तुत करने/वांछित रेकर्ड प्राप्त करने में स्वयं के स्तर से कोई रूचीप्रद प्रयास किया गया, मात्र पत्राचार प्रदर्शित करता रहा।

5. उपरोक्त स्थिति में विद्वान उप जिला कलेक्टर पाली द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध नियम 17 सीसीए की कार्यवाही के अन्तर्गत पारित अपीलाधीन आदेश कमांक 110 दिनांक 11.02.2022 विधिसम्मत होने से इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नही पायी जाने से, तदनुसार खारीज की जाती है तथा उप जिला कलेक्टर पाली द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश कमांक 110 दिनांक 11.02.2022 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17 अप्रेल, 2023 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

17/4/23

(कैलाश चन्द मीना)
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर